

HAMIRPUR POLICE



दिनांक-04/03/2021

थाना बिंवार

तहसीलकर्मी की हत्या करने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी-

थाना क्षेत्र बिंवार में दिनांक 28/02/2021 को दोपहर करीब 01:00 बजे ग्राम लोदीपुर निवादा में तहसील मौदहा में बतौर लेखाकार सहायक कार्यरत पंकज तिवारी निवासी लोधीपुर निवादा की विनय सिंह द्वारा गोली मारकर हत्या किए जाने के संबंध में मु03/08ं0-27/21, धारा-302 आईपीसी पंजीकृत किया गया। उपरोक्त घटना को लेकर 30प्र0 मि0 कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ द्वारा घटना के प्रति रोष प्रकट करते हुए अभियुक्त विनय सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जनपद की समस्त तहसीलों में कार्य विहिष्कार किया गया।

मुक्टरमा उपरोक्त में पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के आदेशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक हमीरपुर एवं क्षेत्राधिकारी मौदहा के कुशल निर्देशन में घटना अभियुक्त विनय सिंह की गिरफ्तारी हेतु थाना ललपुरा, थाना मौदहा, एसओजी थाना बिंवार की 04 पुलिस टीम बनाते हुए गिरफ्तारी के लिए आदेशित किया गया जिसके क्रम में दिनांक 3 मार्च 2021 को देर रात अभियुक्त विनय सिंह को थाना ललपुरा व बिंवार की संयुक्त टीम द्वारा गिरफ्तार करते हुए पुलिस हिरासत में लिया गया।

पूछताछ के दौरान अभि() विनय सिंह द्वार बताया गया कि मृतक पंकज तिवारी की पत्नी श्रीमती वंद्रना तिवारी से पिछले करीब 02 वर्षों से उसके साथ अवैध सम्बन्ध हो गये हैं। जिसकी जानकारी अभियुक्त और वंद्रना तिवारी के परिजनो को भी हो गयी थी, करीब 01 वर्ष पहले गांव के कुछ लोगो के द्वारा पंचायत करके वंद्रना तिवारी को उसके भाई के घर जबलपुर भेज दिया गया था ताकि अभियुक्त और वंद्रना तिवारी आपस में न मिल सके। वंद्रना तिवारी को उसका पति पंकज तिवारी इसी दिवाली के आसपास उसके मायके जबलपुर से लाकर मौंद्रहा करुबा हमीरपुर में अलग से मकान लेकर रहने लगा था। पंकज तिवारी अभियूक्त विनय सिंह और वंद्रना तिवारी के अवैध सम्बन्धों के बीच बाधक बन रहा था। इन सब चीजों से अभि० विनय सिंह काफी परेशान था और पिछले ०६ महीने से इसी इन्तजार में था कि मौंका मिलने पर पंकज तिवारी की हत्या कर उसे रास्ते से हटा दें, ताकि अबि० विनय सिंह और वंद्रना तिवारी बिना किसी रोक टोक के अपने अवैध सम्बन्धो को बनाये रखे। अभि० विनय सिंह और वंद्रना तिवारी के बीच मोबाइल फोन से बातचीत वीडियो कालिंग, वाटसअप चैंटिंग आदि पहले होती रहती थी। पंकज तिवारी तहसील मौद्रहा में लेखाकार सहायक के पद पर तैनात था दो तीन दिन की छुटटिया पडने के कारण वह अकेले अपने गांव निवादा आया था। दिनांक २८/०२/२०२१ को जब पंकज तिवारी अपने खेतो से मटर की मडाई कर अपनी मोटर साइकिल से वापस गांव की तरफ आ रहा था तभी खेतों के बीच कच्चे रास्ते पर अभि० विनय सिंह मोटर साइकित से उसका पीछा कर रास्ते में रोक लिया तथा पहले से तैयार योजना के तहत अपने तमंचे से पंकज तिवारी को गोली मार दी। तब तक पीछे से आ रहे मृतक के पारिवारिकजन और खेतो में काम कर रहे अन्य लोग भी आ गये तो अभि० विनय सिंह अपनी मोटर साइकिल से भागकर गांव के बीच से गूजर रहा था तभी रास्ते में मे अभि० विनय सिंह गांव का चक्रपाणि पुत्र रंजीत सिंह मिल गया तो अभि० विनय सिंह ने अपना तमंचा उसे छिपाने के तिये दे दिया और मोटर साइकित से भागकर ग्राम अतरार थाना बिवांर जनपद हमीरपूर अपने रिश्ते के मामा गणेश सिंह के घर आया और अपने मामा गणेश सिंह के साथ मोटर साइकिल से अपने बहनोई हेमराज पूत्र स्व0 हरिशंकर सिंह नि0 LIG 69 इन्द्रानगर भाग 2 थाना कोतवाली जनपद बांदा के आवास पर पहुंचाकर मोटर साइकिल को लेकर वापस चला गया । बहनोई हेमराज को अभि० विनय सिंह

द्वारा कारित हत्या की बात बताने पर हेमराज ने उसे पुराने फोन बन्द करने को कहा और अपने ही घर के पास अपने परिचित दुकान से एयरटेल का सिम जिसका नं० 8787202453 बिना आई0डी० के दिलाया और सेकेन्ड हैण्ड फोन दिलवाया था। इसके बाद अभि० विनय सिंह को न्यायालय में हाजिर कराने के लिये अपने परिचित वकील से मिलवाने जनपद जालौन की कालपी तहसील में लेकर जा रहे कालपी जाने के लिये दूसरे वाहन के इन्तजार में खडे थे जहा पर थाना ललपुरा व थाना बिंवार की संयुक्त टीम द्वारा अभियुक्त विनय सिंह व उसके सहयोगी हेमराज को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ के दौरान अभि० विनय सिंह द्वारा हत्या करने में प्रयुक्त अवैध शस्त्र चक्रपाणि सिंह को छिपाने हेतु दिया जाना बताया गया जिसे थाना बिंवार की टीम द्वारा चक्रपाणि सिंह की निशानदेही पर उसके खेत से बरामद किया गया हैं। अभि० विनय सिंह का घटना स्थल से भागने में सहयोग करने वाले अभि० गणेश सिंह की भी गिरफ्तारी करते हुये भादसं की धारा-212 के तहत न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा हैं।

बरामदगी:-

- 1)एक अदद तमंचा 315 बोर
- 2)एक अदद कारतूस 315 बोर
- 3)03 अदद मोबाइल

पंजीकृत अभियोगों का विवरण:-

- 1)मु0अ0सं0-27/21, धारा-302 आईपीसी बनाम **विनय सिंह पुत्र ओमप्रकाश सिंह** निवासी ग्राम लोधीपुर निवादा थाना बिंवार
- 2)मु0अ0सं0-28/21, धारा-212 आईपीसी बनाम **हेमराज पुत्र स्व0 हरिशंकर सिंह** निवासी कोतवाली नगर बांदा
- 3)मु0अ0सं0-29/21, धारा-3/25 आर्म्स एक्ट बनाम **चक्रपाणि पुत्र रंजीत सिंह** निवासी ग्राम लोधीपुर निवादा थाना बिंवार
- 4)मु0अ0सं0-30/21, धारा-212 आईपीसी बनाम **गणेश सिंह पुत्र स्व0 इन्द्रपाल** निवासी अतरार थाना बिंवार

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1)प्र0नि0 बिंवार ओमप्रकाश यादव
- 2)थाना प्रभारी ललपुरा दुर्गविजय सिंह
- 3)30नि0 दीपक कुमार थाना बिंवार
- 4)का0 नरेन्द्र कुमार थाना बिंवार
- 5)का0 पवन कुमार थाना बिंवार
- 6)म0का0 अजलि थाना बिंवार
- 7)का0 मुशीर अली थाना ललपुरा
- 8)का0 सनी सिंह थाना ललपुरा

